

22-02-22

पत्रावली पेश हुई। बम्बिल पक्षकारान उपा
बम्बिल ककी द्वारा 'नोट-प्रेस' किया गया है।
बाद में आगे कार्यवाही नहीं चलते है। बम्बिल
ककी के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसके
बम्बिल कादीगण बाद में अब आगे कार्यवाही
नहीं चाहते है, अतः बाद 'नोट-प्रेस' में
खारिज किया जाना व्योचिह है।

Note Press

अभि
Achal

अतः बाद कादीगण काबल खालेदारी व स्थायी
निर्दिष्टाज्ञ अंतर्गत धारा 83, 188 अनुसंधान
काइलकाली आधिबियस का 'नोट-प्रेस' के
आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाना
है। पत्रावली केवल शुभार लेबर अंबर
से कम लेबर शामिल दफतर है। निर्णय
सुले न्यायालय में सुनाया जाकर केरे
हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी
किया जाना है।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

